संख्याः 27/2019/1729/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ: दिनांक: 07 नवम्बर, 2019**

विषयः- उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत 500 मेगावाट क्षमता हेतु आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर प्राप्त नियत कोटेड टैरिफ के अनुसार परियोजना विकासकर्ताओं के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-2785/नेडा-एसई-500 मेगावाट/फेज-3/332/136/2018 दिनांक 02 सितम्बर 2019 के संदर्भ में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु प्रतिपादित सौर ऊर्जा नीति-2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिये टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग आमंत्रित की गयी।

2- सौर ऊर्जा नीति-2017 के प्राविधानों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर निम्नांकित तालिका के अनुसार 25 वर्ष की अवधि तक नियत कोटेड टैरिफ पर परियोजना विकासकर्ताओं के नाम के सम्मुख अंकित परियोजना क्षमता एवं उक्त के लिए प्राप्त टैरिफ पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	बिडर्स का नाम	एलाटेड प्रोजेक्ट कैपेसिटी (मेगावाट में)	फाईनल टैरिफ आफटर ई-रिवर्स आक्सनिंग (टैरिफ फार 25 इयर्स) रू0/किवाट
1	एनटीपीसी लि0 (आरई), नोएडा।	20	3.02
2	एनटीपीसी लि0 (आरई), नोएडा।	20	3.02
3	सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0, पंजाब	32	3.05
	योग	72	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- सौर ऊर्जा नीति-2017 में उपलब्ध प्रोत्साहन व्यवस्थानुसार बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल में स्थापित परियोजनाओ को निश्चित किलोमीटर तक परियोजना विकासकर्ता द्वारा निर्मित पारेषण लाईन पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति परियोजना की सी.ओ.डी. उपरांत यूपीनेडा के बजट में ("4810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय-102-सौर ऊर्जा-04-सौर ऊर्जा स्रोतो पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना-24 वृहद निर्माण कार्य") में व्यवस्था कराते हुए राज्य सरकार द्वारा देय होगी।

4- परियोजना विकासकर्ता द्वारा निर्मित पारेषण लाईन पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति परियोजना के सी.ओ.डी. के उपरांत उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सौर परियोजना विकासकर्ता द्वारा पारेषण सम्बन्धी किये गये निर्माण कार्य एवं उक्त हेतु किये गये भुगतान के सत्यापन के आधार पर सम्बन्धित वर्ष में प्रति किलोमीटर लाईन निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी की गयी ''दर अनुसूची'' के अनुसार एवं वास्तविक निष्पादित लागत में जो भी कम हो, देय होगी।

5- कृपया तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांकः तदैव।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन।
6- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल, लखनऊ।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा यूपीनेडा)।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से ,
राजेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।